फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर चौमू

रुकमा देवी **बनाम** छिगनी देवी वगैरह

मुकदमा संख्या / वर्ष : 136 / 2020

वाद

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/10/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/11/22 को पेश हो।	
	14/11/22	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 24/11/22 को पेश हो।	
	24/11/22	व.फ. उप०। तहसीलदार चौमू से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त, जो शा० पत्रावली की जाती है। पत्रावली वास्ते देखने कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 8/12/22 को पेश हो।	
	8/12/22	व.फ. उप०। प्रतिवादी अधिवक्ता ने ऐतराज पेश करने एतराज जाहिर किया। पत्रावली प्रा.पत्र दिनांक 19/12/22 को पेश हो।	
	19/12/22	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 04/01/23 को पेश हो।	
	4/01/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 9/1/23 को पेश हो।	
	9/1/23	व.फ. उप०। उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान के द्वारा तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक	[illegible] पर आपत्ति [illegible] (राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर [illegible] (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakha
Date: 2023.04.06 10:40:21 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		20/10/22 के अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किये जाने की सूचना जारी की गई है। वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:21 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–136/2020
उनवान–रुकमा देवीबनाम छिगनी वगै0
निर्णय दिनांकः–09.01.2023

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़(R.A.S.)

मुकदमा नं0–136/2020

उनवान

रुकमा देवी पत्नि श्री रक्षपाल, उम्र 58 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादिया–

बनाम

1. छिगनी देवी पत्नि स्व0 श्री लालाराम,जाति अहीर, निवासी ग्राम सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरियेतहसीलदार महोदय,तहसील चौमूं जिलाजयपुर (राज0)।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट
निर्णय

दिनांकः–09.01.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादियाएवं प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादियाव प्रतिवादीगण को सुना गया। पक्षकारान द्वारा वाद पत्र प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 18.10.2022 के अनुसार वाद पत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली, कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 18.10.2022 वाद को अन्तिम डिकी किया जाता है एवं विवादित कृषि भूमि वाके ग्राम सिंगोदखुर्द, पटवार [illegible] तहसील चौमूं, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगोदखुर्द, [illegible] खाता संख्या 134 के हाल आराजी खसरा नं0 1048 रकबा [illegible] है0, खसरा नं0 [illegible] रकबा 0.62 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर भूमिका बंटवारा निम्नानु[illegible] किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:21 IST
Reason: SelfAttested

1. छिगनी देवी पत्नि लालाराम हिस्सा पूर्ण, जाति अहीर (यादव), सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1048/1 रकबा 0.8800 है0, खसरा नम्बर 1057/1 रकबा 0.

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–136/2020
उनवान–रुकमा देवीबनाम छिगनी वगै0
निर्णय दिनांकः–09.01.2023

5503 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.4303 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।

2. रुकमा देवी पत्नि रक्षपाल हिस्सा पूर्ण, जाति अहीर (यादव), सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1048/2 रकबा 0.5500 है0, खसरा नम्बर 1057/2 रकबा 0.0697 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.6197 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालयमें सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
चौमूँ (चौमूंपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:21 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–136 / 2020
उनवान–रुकमा देवीबनाम छिगनी वगै0
निर्णय दिनांकः–09.01.2023

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

उनवान

रुकमा देवी पत्नि श्री रक्षपाल, उम्र 58 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादिया–

बनाम

1. छिगनी देवी पत्नि स्व0 श्री लालाराम,जाति अहीर, निवासी ग्राम सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरियेतहसीलदार महोदय,तहसील चौमूं जिलाजयपुर (राज0)।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट

मुकदमा नम्बरः–136 / 2020

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

वाके ग्राम सिंगोदखुर्द, पटवार हल्का सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगोदखुर्द, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 134 के हाल आराजी खसरा नं0 1048 रकबा 1.43 है0, खसरा नं0 1057 रकबा 0.62 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 18.10.2022 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2023.04.06 10:40:21 IST
Reason: SelfAttested

1. छिगनी देवी पत्नि लालाराम हिस्सा पूर्ण, जाति अहीर (याद[illegible] ह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1048 / 1 रकबा 0.8800 है0, खसरा नम्बर 1057 / 1 रकबा 0.5503 है0,कुल किता 2 का कुल रकबा 1.43[illegible] हैक्टेयर भूमि [illegible] होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. रुकमा देवी पत्नि रक्षपाल हिस्सा पूर्ण, जाति अहीर (यादव), सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1048 / 2 रकबा 0.5500 है0, खसरा नम्बर 1057 / 2 रकबा 0.

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–136/2020
उनवान–रुकमा देवीबनाम छिगनी वगै0
निर्णय दिनांकः–09.01.2023

0697 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.6197 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 09.01.2023 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत..............................
ओहदा..............................
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	5	जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakh
Date: 2023.04.06 10:40:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)